# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम निम्बाहेडा राज0

पीठासिन अधिकारी – चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0ए0एस0,

प्रकरण सं0 147/2022
जीसीएमएस 2022/359

श्री आकाश पिता पारसमल जी जाति महाजन आयु 29 वर्ष निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा – प्रार्थी

//बनाम//

1– श्री दिनेश पिता कैलाश जी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा राज0

2– राजस्थन सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा

– विपक्षीगण

## धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

//निर्णय// दिनांक 24.08.2022

प्रार्थी की और से:– अधिवक्ता श्री शम्भूलाल तेली, उपस्थित

विपक्षीगण की और से:– पैरोकार सरकार उपस्थित

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0काअधि0 का पेश किया कि ग्राम साकरीया तहसील निम्बाहेडा में खाता स0 14 के आराजी न0 875/706 रकबा 0.1800 हेक्टयर स्थित है इसी प्रकार विपक्षी क0 1 कि कृषि आराजीयात जो प्रार्थी की आराजीयात से सटी हुई होकर खाता स0 383 की आराजी न0 669/706 रकबा 0.4100 हेक्टयर स्थित है। प्रार्थी और विपक्षी क0 1 दोनों अपनी अपनी कृषि आराजीयात पर रकबे अनुसार काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है उक्त कृषि आराजीयात के पूराने आरजी न0 443/569 मीन होकर इसका रकबा 3 बिघा 2 बिस्वा था जिसके

उपखण्ड अधि...
निम्बाहेड़ा (चित्तौ...

नवीन आराजी न0 जो उपर लिखित है बने उक्त आराजीयात को विपक्षी क्र0 2 के अधिनस्थ कर्मिको एवं सेटलमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से निम्बाहेडा रानीखेडा वाले मार्ग पर गलत तरमीम कर दिया है जबकी प्रार्थी और विपक्षी क्र0 1 कि कृषि भूमि जिसके संयुक्त पडौस पूर्व में सरकारी पडत भूमि उत्तर में पडत भूमि दक्षिण में सरकारी पडत भूमि जिस पर राबडा डला हुआ है व पश्चिम में नीमच चित्तौड रोड स्थित है उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं विपक्षी क्र0 1 लम्बे समय से वक्त खरीद से काबिज है परन्तु नवीन राजस्व नक्शे में उक्त भूमि को गलत जगह पेमुद कर दिया है जिसे दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण के सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी स0 2 द्वारा मय रिपोर्ट अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया की ग्राम साकरिया की उपरोक्त वर्णित आराजी न0 875/706 रकबा 0.1800 हेक्टयर 669/709 रकबा 0.4100 हेक्टयर पर प्रार्थी एवं विपक्षी क्र0 1 काबिज नही है दोनों ही खातेदार संयुक्त रूप से ग्राम साकरिया की आराजी न0 654 पर आवेदन पत्र में वर्णित अनुसार काबिज है उक्त जवाब के साथ ही सम्बंधित पटवार हलका रानीखेडा की रिपोर्ट भी प्रस्तुत हुई जिसके साथ संलग्न नक्शा भी पेश किया उक्त पटवार हल्का द्वारा निर्मित पर्चा मोका पर विपक्षी स0 1 के हस्तारक्षर भी है तथा अन्य पडौसी मौतबीरान के हस्ताक्षर भी है। पुराने नक्शे में प्रार्थी की आराजीयात की तरमीम नहीं है जबकि नये नक्शे में कब्जे अनुसार तरमीम नहीं होना पाया गया है जो स्पष्ट रूप से त्रूटीपूर्ण होकर संशोधन योग्य है। हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं विपक्षीगण की बहस सुनी जिसमें उन्होंने आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी एवं विपक्षी स0 1 का संयुक्त अधिपत्य ग्राम साकरिया की आराजी न0 654 में आवेदन पत्र में वर्णित चारों पडौसों के मध्य है वर्तमान राजस्व नक्शे में प्रार्थी एवं विपक्षी स0 1 की आराजीयात को गलत जगह पेमुद कर दिया है जिसकी ताईद पटवार हल्का रानीखेडा की रिपोर्ट एवं पर्चा मौके पर पडौसीयों के हस्ताक्षर से होती है। विपक्षी क्र0 2 द्वारा भी अपने जवाब

उपखण्ड अधि
निम्बाहेडा (चि

में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है जिस कारण हम प्रार्थी के तर्को से सहमत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र बाबत धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती हेतु स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी स0 1 व सम्बंधित पटवार हल्का को निर्देशित किया जाता है की वे पर्चा मोके के साथ संलग्न नक्शे अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी की कृषि आराजी की तरमीम ग्राम साकरिया की आराजी न0 654 में रकबे अनुसार करते हुए वर्तमान राजस्व नक्शे में स्थित आराजी न0 875/706 रकबा 0.1800 हेक्टयर 669/709 रकबा 0.4100 हेक्टयर भूमि को चारागाह में दर्ज किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है इसी अनुसार निर्णय की पालना सुनिश्चित हो पत्रावली फेसल से शुमार होकर नम्बर से कम हो

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा राज0

में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है जिस कारण हम प्रार्थी के तर्कों से सहमत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र बाबत धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती हेतु स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी स0 1 व सम्बंधित पटवार हल्का को निर्देशित किया जाता है की वे पर्चा मोके के साथ संलग्न नक्शे अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी की कृषि आराजी की तरमीम ग्राम साकरिया की आराजी न0 654 में रकबे अनुसार करते हुए वर्तमान राजस्व नक्शे में स्थित आराजी न0 875/706 रकबा 0.1800 हेक्टयर 669/709 रकबा 0.4100 हेक्टयर भूमि को चारागाह में दर्ज किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है इसी अनुसार निर्णय की पालना सुनिश्चित हो पत्रावली फेसल से शुमार होकर नम्बर से कम हो

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा राज0